बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक :- 385888 दिनांक :- 27/08/18

ग्रा0वि0-3/स्था0-6-25/12

प्रेषक,

राधा किशोर झा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

समाहर्त्ता,
दरभंगा ।

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2018-18 में दरभंगा जिलान्तर्गत तारडीह प्रखंड सह अंचल कार्यालय सह आवासीय भवन निर्माण एवं परिसर विकास हेतु बिहार रैयती भूमि लीज नीति-2014 के तहत सतत् लीज पर 5.00 एकड़ रैयती भूमि लिये जाने के लिए कुल 2,40,00,000/- (दो करोड़ चालीस लाख) रूपये मात्र का आवंटन ।**

प्रसंग:- **विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-383569 दिनांक-09.08.18**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-383569 दिनांक-09.08.18 के क्रम में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में दरभंगा जिलान्तर्गत तारडीह प्रखंड सह अंचल कार्यालय सह आवासीय भवन निर्माण एवं परिसर विकास हेतु मौजा-तारडीह, थाना नं0-371 अन्तर्गत कुल 5.00 एकड़ रैयती भूमि को बिहार रैयती भूमि लीज नीति-2014 के तहत सतत् लीज पर लेने के लिए कुल 2,40,00,000/- (दो करोड़ चालीस लाख) रूपये मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी । उक्त स्वीकृत्यादेश द्वारा स्वीकृत राशि के विरूद्ध 2,40,00,000/- (दो करोड़ चालीस लाख) रूपये मात्र आंवटित की जाती है ।

2. स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजना मुख्य शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-103- ग्राम विकास उप शीर्ष-0102-प्रखंड लघु निर्माण कार्य, विपत्र कोड- 42-4515001030102 विषय शीर्ष 53 मुख्य निर्माण कार्य 0102.53.02 भू-अर्जन मद से विकलनीय होगा ।

3. आंवटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी समाहर्त्ता, दरभंगा होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, दरभंगा से वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य कर ली जायेगी।

4. आंवटित राशि की निकासी, जमा एवं व्यय में वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 वि0(2) दिनांक 17.04.1998, पत्रांक- 7857 दिनांक- 31.07.2013 एवं समय-समय पर निर्गत अनुदेशों/निदेशों का अनुपालन किया जायेगा । साथ ही साथ वित्त विभाग के पत्र संख्या-

3687 दिनांक- 30.03.2012 एवं पत्रांक- 5542 दिनांक- 23.05.2012 का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

5. आवंटित राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-383569 दिनांक- 09.08.18 में निहित निर्देशों के आलोक में की जायेगी ।

6. इसकी सूचना संबंधित पदाधिकारियों को दे दी गयी है ।

7. आवंटित राशि कोषागार से निकासी कर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(राधा किशोर झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- ________ दिनांक:-________

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- ________ दिनांक:-________

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- ________ दिनांक:-________

प्रतिलिपि- आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा / उप विकास आयुक्त, दरभंगा / जिला कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा /प्रखंड विकास पदाधिकारी, तारडीह (दरभंगा) एवं अंचल अधिकारी, तारडीह (दरभंगा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 385888 दिनांक:- 27/08/18

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, ग्रामीण विकास विभाग/CFMS प्रभारी, ग्रामीण विकास विभाग/ प्रभारी सांख्यिकी कोषांग, ग्रामीण विकास विभाग एवं श्री सुनिल कुमार, आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव